न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5703/2003/चूरू

1– हरिसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी भामासी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

------ अपीलांट

बनाम

1– फूलाराम पुत्र हेतराम,

2– गुमानसिंह,

3– धर्मपाल,

4– धर्मवीर पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी भामासी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

5– प्रतापसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी, भामासी, तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

------- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सी0आर0 मीना, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–15.11.2021**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं0 62/2001 बउनवानी हरिसिंह बनाम फूलाराम में पारित निर्णय दिनांक 03–09–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ के समक्ष वादी हरिसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट हरिसिंह को ग्राम भाटावास के खसरा नं0 73 में से 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके नये खसरा नंबर 104/73 डाले गये। रेस्पो0 के खेत खसरा नं0 74, 76, 90, 96 है जिनमें से खेत खसरा नं0 74 अपीलांट की कृषि भूमि से चिपता हुआ उत्तरी तरफ स्थित है। प्रतिवादीगण उसके खेत में घुस जाते हैं व फसल आदि को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज

अपील/डिक्री/टीए/5703/2003/चूरू

हरिसिंह बनाम फूलाराम

रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर वाद वादी दिनांक 17–9–2001 को खारिज कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2001 से पीड़ित होकर अपीलांट हरिसिंह ने विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दोनों पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनकर उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3–9–2003 से अपील अपीलांट निरस्त कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 3–9–2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– सर्वप्रथम हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुनी। प्रार्थना पत्र के साथ पेश किए गए दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है, जिन पर अविश्वास किया जाना उचित नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किए गए दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाता है।

4– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। राजस्व रेकार्ड में दर्जशुदा रास्ता प्रतिवादीगण के खेत खसरा नं0 75 व 74 से कटानी रास्ता खसरा नंबर 78 व 103/73 में से होकर प्रतिवादी/रेस्पो0 के खेत खसरा नंबर 90, 95 व 96 में प्रवेश करके आगे दक्षिण में गांव भामासी की तरफ जाता है जिस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया। बहस में आगे कथन किया कि रेकार्डेड रास्ता खसरा नं0 69, 68 व 67 के किनारे–किनारे होता हुआ खसरा नं0 29 व 28 से गुजर रहा है जो इनके खेत खसरा नं0 74, 76 व 28, 29 के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है किन्तु इन दोनों राजस्व रेकार्ड में दर्जशुदा रास्ते को नजर अंदाज कर वादी की भूमि में रास्ता मानकर वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रतिवादी लठैत व्यक्ति है और वादी की फसल को आये दिन बरबाद करते हैं एवं खड़ी फसल में से होकर के बैलगाड़ी ले जाने का प्रयास करते हैं जिससे फसल तैयार होने एवं बड़ी होने से पूर्व ही कुचल दी जाती है जिससे

वादी को आर्थिक हानि होने के साथ–साथ मानसिक तनाव भी रहता है। वादी को यह खसरा नबर आवंटन होने से पूर्व भी इसमें से कोई रास्ता मौजूद नहीं था और आज भी वादी के खेत में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार झगड़ा करने पर धारा 133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3–9–2003 व विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2001 निरस्त कर वादी का वाद डिक्री किया जाने का अनुरोध किया।

6– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0/प्रतिवादीगण ने कथन किया कि अपीलांट और रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में कई फौजदारी मुकदमें वर्षो से चल रहे हैं तथा उसी रंजिश व दुश्मनी से यह झूठा दावा/अपील तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट का अपने खेत में जाने के लिए रास्ता अपीलांट के ही खेत खसरा नं0 हाल 104/73 रकबा 25 बीघा में से है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद सही खारिज किया है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को उचित एवं न्यायसंगत मानते हुए प्रथम अपील खारिज की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

7– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

8– विद्वान सहायक कलक्टर, राजगढ़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–09–2001 में अंकित किया कि तनकी सं0 1 वादी के विरूद्व निर्णित की गई है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3–9–2003 से अपीलांट/वादी का प्रकरण उसके द्वारा लाये गये मूल वाद में अभिवचनों के आधार पर चाहे गये अनुतोष के विरूद्व रास्ते के विवाद को लेकर करायी गई साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया गया है जो कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

अपील/डिक्री/टीए/5703/2003/चूरू

हरिसिंह बनाम फूलाराम

1955 के स्कॉप से बाहर है, परन्तु साथ ही अंतिम निर्णय भी अपीलांट/वादी के पक्ष में नहीं होने से अपील अपीलांट निरस्त करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2001 की पुष्टि की गई है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका निरीक्षण एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट हरिसिंह के खेत से होकर पगडण्डी का रास्ता है जो मौके पर चालू है जिसे चिर स्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में बन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी/अपीलांट ने अन्य किसी प्रकार से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा वादी/अपीलांट की फसल को नुकसान पहुंचाने की बात वाद में नहीं की है। इस प्रकार मौके पर पुरानी पगडण्डी होने से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का वादी/अपीलांट को कोई अधिकार नहीं होना माना जाकर वाद वादी खारिज किया गया है।

10– चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है तथा समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डी0एन0जे0 एस0 सी0 पेज 385, 2001 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 2282 एवं 2002 ए0आई0आर0 पेज 2849 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए दोनों समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3–9–2003 एवं विद्वान सहायक कलक्टर, राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2001 बदस्तुर बहाल रखें जाते हैं।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड लौटाया जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(सी0आर0मीना)
सदस्य

अपील/डिक्री/टीए/5703/2003/चूरू

हरिसिंह बनाम फूलाराम